छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्रमांक 3428/वि.स./स्टेशनरी/**2019-2020** रायपुर, दिनांक 3/3/2020

<u>शासकीय वर्दियों की सिलाई कार्य सम्पन्न किये जाने बाबत निविदा आमंत्रण सूचना</u>

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के उपयोगार्थ निर्धारित शासकीय वर्दी यथा फुलपैण्ट/फुलशर्ट, सफारी एवं सुरक्षा कर्मियों हेतु खॉकी पुलिस वर्दी तथा महिला अधिकारी/कर्मचारियों हेतु सलवार/कुर्ता की सिलाई हेतु स्थानीय प्रतिष्ठित टेलरिंग संस्थानों से सीलबन्द निविदाएँ जमा की अन्तिम तिथि **23. 03. 2020** अंपराह्न **04:00** बजे तक आमंत्रित की जाती है, निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में रूपये **10,000 /-** का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-आर्डर/एफ.डी.आर. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पक्ष में देय संलग्न करना अनिवार्य है ।

निविदा की निम्नांकित शर्तों के अधीन शासकीय वर्दियों की सिलाई कार्य सम्बन्धी अन्य विवरण स्टेशनरी शाखा, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, विधान नगर, बलौदा बाजार रोड, जीरो प्वाईन्ट चौक, रायपुर (छत्तीसगढ़) से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है अथवा छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेब साईट www. cgvidhansabha. gov. in पर भी उपलब्ध है । खाली निविदा प्रपत्र दिनांक **21. 03. 2020** अंपराह्न **04:00** बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं, अन्तिम तिथि पश्चात प्राप्त निविदा/भावपत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

किसी भी निविदा को मान्य अथवा अमान्य करने का सर्वाधिकार प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा को होगा ।

अपर सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

शासकीय वर्दी की सिलाई कार्य हेतु निविदा की शर्तें

01. स्थानीय प्रतिष्ठित टेलरिंग संस्थान द्वारा प्रस्तुत की जा रही निविदा फर्म के लैटर पेड पर होना चाहिये ।

02. निविदा में प्रस्तुत की जा रही दरें; शब्दों एवं अंकों के रूप में बिना कांट–छांट के सुस्पष्ट अंकित होना चाहिये ।

03. टेलरिंग संस्थान का वैध एवं जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

04. सिलाई कार्य में उच्च गुणवत्तायुक्त सामग्रियों यथा बकरम, धागा, बटन, चेन इत्यादि का उपयोग करना सुनिश्चित हो ।

05. टेलरिंग संस्थान से संबंद्ध टेलर को अधिकारी / कर्मचारियों का नाप कार्यालयीन समय में सचिवालय में उपस्थित होकर लेना होगा ।

06. सभी वर्दियाँ नियत समय सीमा में कार्यादेश जारी तिथि से एक माह की अवधि में सिलाई कार्य सम्पन्न करा कर स्वयं के साधनों से स्टेशनरी शाखा, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में पहुँचा कर जमा कराना होगा ।

07. समस्त सिलाई कार्य पूर्णरूपेण से संतोषजनक कर लिये जाने के उपरान्त ही तीन प्रतियों में देयक प्रस्तुत किये जाने पर ई – पेमेण्ट के माध्यम से एकांउण्ट पेयी भुगतान किया जावेगा, इस हेतु पैन कार्ड (**PAN Card**) की छायाप्रति अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

निविदाकर्त्ता के हस्ताक्षर
एवं सील